न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./190/2017/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. मोकमसिंह पुत्र श्री पुनमसिंह 2. चैनसिंह पुत्र मोतीसिंह निवासी रावो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर	1. भंवरसिंह पुत्र डुंगरसिंह 2. जेठमालसिंह पुत्र रूपसिंह 3. कमलसिंह पुत्र रूपसिंह 4. भगवानसिंह पुत्र रूपसिंह 5. बरजु पत्नी रूपसिंह 6. पृथ्वीसिंह पुत्र मूलसिंह 7. विक्रम पुत्र मुलसिंह 8. सुरेश पुत्र मुलसिंह 9. भंवरी पत्नी मुलसिंह 10. शिवदानसिंह पुत्र मोतीसिंह 11. वीरो पत्नी मोतीसिंह 12. सवाईसिंह पुत्र उम्मेदसिंह 13. हरीसिंह पुत्र उम्मेदसिंह उत्तरदाता संख्या 12 व 13 नाबालिग जरिये कुदरती वली उत्तरदाता संख्या 14 श्रीमती प्यारी 14. श्रीमती प्यारी पत्नी उम्मेदसिंह जाति राव निवासी रावो की ढाणी तहसील व जिला बाड़मेर 15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 144/2013 बअनवान भंवरसिंह बनाम मोकमसिह वगै में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.10.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. रेस्पोडेंटस बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः— 02.11.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश हुआ। उतरदाता संख्या 01 व अपीलकर्ता व अन्रू उतरदाता संख्या 02 से 14 का संयुक्त खातेदारी का एक खातेदारी खेत खसरा नम्बर 1601 रकबा 32.05 बीघा का आया हुआ है जिसमें 1/4 हिस्सा उतरदाता संख्या 01 का, अपीलकर्ता का 1/4 हिस्सा, उतरदाता संख्या 02 से 09 का 1/4 हिस्सा एवं इसी प्रकार अपीलकर्ता संख्या 02 व उतरदाता संख्या 11 से 14 का 1/4 हिस्सा विधिनुसार बनता है तथा इसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अनुसार दिनांक 28.10.2016 को प्राथमिक डिक्री पारित की गई। प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार स्वयं ने मौके पर न जाकर हल्का पटवार व आर आई से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु कहा गया जिस पर हल्का पटवारी व आर आई ने उतरदाता के साथ मिलीभगत करते हुऐ मौके पर पक्षकारान के मध्य हुऐ वाहामी बंटवाडे व कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया तथा मौके की स्थिति व कब्जा काश्त के विपरित विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये विना व अपीलांट से आपति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलव किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। अपीलांट अधिवक्ता की पत्रावली पर एकपक्षीय बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बाड़मेर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिस पर अपीलांट व उसके अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर एतराज करते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया गया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने पुनः विभाजन प्रस्ताव बाई मीटस एण्ड बाउण्ड तैयार कर न्यायालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया, जिस पर दुबारा भी तहसीलदार ने मौके पर न जाकर आर आई व हल्का पटवारी ने दिनांक 27.07.2017 को पूर्व में तैयार विभाजन के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया गया। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी

पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण द्वारा बार–बार आपति जताई और अधीनस्थ न्यायालय ने आपति के मद्देनजर पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाये। अन्तिम बार प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा अपीलांट स्वयं की उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ जिस पर अपीलांटस स्वयं के हस्ताक्षर है, जिस पर दिनांक 24.10.2017 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार बाड़मेर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर द्वारा राजस्व वाद संख्या 144/2013 बअनवान भंवरसिंह बनाम मोकमसिह वगै में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 24.10.2017 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 02.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर